भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2695

उत्तर देने की तारीख: 16.12.2025

फर्जी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

2695. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान संबंधित संगठन/मंत्रालय में अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के मामलों में कोई कार्रवाई की है;

(ग) कुल कितने व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं;

(घ) विगत दस वर्षों में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले कुल कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया; और

(ङ) देश भर में फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों के अंतर्गत किसी जाति/जनजाति को क्रमश: अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में अधिसूचित करने के लिए नोडल एजेंसियां हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने और उसका सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण-पत्रों के बारे में प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजा जाता है। ऐसे मामलों के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। इसके अलावा, सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले पूरी सावधानी बरतें और उनका समय पर सत्यापन करें और झूठे जाति प्रमाण-पत्रों के मामले में उचित कार्रवाई करें।
